**फार्म बी.एम.-9 (भाग-1)**

**पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिये आवेदन**

**(संदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर-158 देखे)**

अनुदान संख्या व नाम : 43- परिवहन विभाग वित्तीय वर्ष 2020-21 (धनराशि लाख रूपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा

| लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) (राजस्व पक्ष) | आवेदन पत्र देने के दिनॉक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग | आवेदन पत्र देने के दिनॉक पर उपलब्ध बचत | संक्रमित की जाने वाली धनराशि | वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि | संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान / विनियोग |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **(1) 3055 00 001 03 00**<br>3055-सड़क परिवहन-00-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान व्यय-03-मंहगाई भत्ता | 2575.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 2275.00 |
| **(2) 3055 00 800 03 00**<br>3055-सड़क परिवहन-00-800-अन्य व्यय-03-मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्युनल | | | | | |
| 01-वेतन | 1080.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 830.00 |
| 29-अनुरक्षण | 200.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| **योग-** | **3855.00** | **650.00** | **650.00** | **650.00** | **3205.00** |

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा

(धनराशि लाख रूपये में)

| लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) (राजस्व पक्ष) अनुदान संख्या-43 | वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/ विनियोग | वित्तीय वर्ष में कुल प्रत्याशित व्यय | संक्रमण हेतु प्रत्याशित धनराशि (9-8) | वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि | संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **(1) 3055 00 001 03 00**<br>3055-सड़क परिवहन-00-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान व्यय | | | | | |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-कार्यालय व्यय | 600.00 | 1150.00 | 550.00 | 550.00 | 1150.00 |
| 17-किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व | 120.00 | 170.00 | 50.00 | 50.00 | 170.00 |
| **(2) 3055 00 800 03 00** | | | | | |
| 3055-सड़क परिवहन-00-800-अन्य व्यय-03-मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्युनल | | | | | |
| 04-यात्रा व्यय | 4.00 | 6.50 | 2.50 | 2.50 | 6.50 |
| 05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय | 4.00 | 44.00 | 40.00 | 40.00 | 44.00 |
| 19-विज्ञापन बिक्री और विख्यापन व्यय | 0.00 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
| **योग -** | **728.00** | **1378.00** | **650.00** | **650.00** | **1378.00** |

(1) बचत का कारण निम्नानुसार है :-

परिवहन अधिष्ठान की मद संख्या 03-मॅहगाई भत्ता में बचत का मुख्य कारण वित्त विभाग के शासनादेश सं0 2/2020-वे0आ0-1-314/दस-2020-8(एम)/2016, दिनांक 24.04.2020 द्वारा कार्मिकों के देय महॅगाई भत्ते की अतिरिक्त दरों (01.01.2020, 01.07.2020 तथा 01.01.2021) को संचयी दरों में शामिल किये जाने तथा इस अवधि की बकाया धनराशि स्थगित किये जाने के कारण।

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण योजना की मद संख्या 01-वेतन में बचत का मुख्य कारण अधिकरणों में तैनात अधिकतर पीठासीन अधिकारियों द्वारा पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर वेतन आहरित करने तथा योजना नयी होने के कारण समस्त पीठासीन अधिकारियों की तैनाती वित्तीय वर्ष के आरम्भ में न हो पाने के कारण। मद संख्या 29-अनुरक्षण में बचत का मुख्य कारण अधिकरणों से इस मद सम्बन्धी कार्यो हेतु पर्याप्त/पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त न होना।

(2) व्यायाधिक्य के कारण निम्नानुसार हैं :-

परिवहन अधिष्ठान की मद संख्या 08-कार्यालय व्यय में व्यायाधिक्य का मुख्य कारण यह है कि परिवहन आयुक्त कार्यालय के पत्र दिनांक 19.11.2019 द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु मद संख्या 08 में रू 1764.00 लाख का बजट प्रावधान स्वीकृत कराये जाने विषयक आय-व्ययक अनुमान का प्रस्ताव शासन के स्वीकृतार्थ प्रेषित किया गया जिसके सापेक्ष इस मद में मात्र रू 600.00 लाख का बजट प्रावधान स्वीकृत है। स्वीकृत बजट प्रावधान से विभाग में संचालित प्रदेश मुख्यालय सहित 06 परिक्षेत्रीय, 19 संभागीय तथा 75 सहायक संभागीय परिवहन कार्यालयों की विभिन्न देयताओं (डाक टिकट, जनरेटर का डीजल, कार्यालय की साज-सज्जा तथा हेल्पलाइन पर व्यय) आदि का निस्तारण इस मद से किया जाता है। इसके अतिरिक्त इस मद से आम-जनमानस से सम्बन्धित कार्य स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेन्स के निर्गमन हेतु प्रतिवर्ष लगभग रू 1000.00 लाख की आवश्यकता होती है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में इस कार्य हेतु माह अगस्त 2020 तक का भुगतान कार्यदायी संस्था मेसर्स स्मार्ट चिप को किया गया है, जिसमें विगत माहों से मद संख्या 08-कार्यालय व्यय में उपलब्ध बजट की स्थिति शून्य होने के दृष्टिगत उक्त कार्य की माह जुलाई व अगस्त की देयता का निस्तारण वित्त विभाग के ग्रुपिंग सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 04.10.2018 के अनुक्रम में मद संख्या 11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई में सम्भावित बचत से वहन किया गया है। डी0एल के डिस्पैच कार्य हेतु माह सितम्बर 2020 से फरवरी 2021 तक की सम्भावित देयता रू 516.00 लाख (रू 86.00 लाख प्रतिमाह औसतन X 6 माह) तथा इस मद के अन्य कार्यो की देयता के निस्तारण हेतु रू 34.00 लाख अर्थात कुल रू 550.00 लाख की आवश्यकता है। मद संख्या 17-किराया, उपशुल्क और कर-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

स्वामित्व में चालू वित्तीय वर्ष में प्रावधानित धनराशि रू 120.00 लाख से किराये पर संचालित कार्यालय भवनों का नियमित किराया तथा शासकीय भवनों में संचालित कार्यालयों के उपशुल्क व करों का भुगतान किया गया। वर्तमान में इस मद में बजट की स्थिति शून्य है। शासन के पत्र दिनांक 04.06.2020 द्वारा सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय, पीलीभीत के भवन किराया में वृद्धि दिनांक 01.04.2010 से तथा शासन के पत्र दिनांक 11.06.2020 व 20.08.2020 द्वारा संभागीय परिवहन कार्यालय, बरेली के किराये में वृद्धि दिनांक 11.10.2014 से अनुमन्य किये जाने के फलस्वरूप सम्बन्धित कार्यालयों के भवन स्वामियों को न्यूनतम रू 50.00 लाख के एरियर की धनराशि का भुगतान किये जाने हेतु आवश्यकता है।

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा जनहित याचिका संख्या-4215/2018 में पारित निर्णय दिनांक 27.11.2018 के अनुपालन में मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-165 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा मोटर दुर्घटना दावा से सम्बन्धित मामलों के निस्तारण के लिए अधिसूचना संख्या-77/तीस-3-2019, दिनांक 09.01.2019 द्वारा 71 जनपदों (श्रावस्ती, शामली, अमेठी व अम्बेड़कर नगर को छोड़कर) में कुल 75 मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों की स्थापना का निर्णय लिया गया है। जिन 04 जनपदों में अधिकरण की स्थापना नही की गयी है, इन जनपदों के वादों का निस्तारण भौगोलिक दृष्टि से निकटस्थ जनपद के अधिकरण क्रमशः बलरामपुर, मुजफ्फरनगर, सुल्तानपुर व अयोध्या के अधिकरण की सीमाक्षेत्र में समाहित किया गया है। लम्बित वादों की संख्या के आधार पर लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर-नगर एवं मेरठ में दो-दो मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण एवं अन्य जनपदों में एक-एक मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के कार्यालय को स्थापित/संचालित किया जा रहा है। प्रदेश में अब तक 68 जनपदों में 70 अधिकरण स्थापित हो चुके हैं, जिनमें से 67 अधिकरण क्रियाशील हो चुके हैं। समस्त अधिकरणों में पीठासीन अधिकारियों की नवीन तैनाती अन्यत्र स्थान से होने के कारण पीठासीन अधिकारियों द्वारा मद संख्या 04-यात्रा व्यय व 05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय में निरन्तर बजट की मांग की जा रही है। मद संख्या 04 में रू 4.00 लाख तथा मद संख्या 05 में रू 4.00 लाख का बजट प्रावधान वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु स्वीकृत है। प्रति पीठासीन अधिकारी द्वारा स्थानान्तरण व्यय हेतु न्यूनतम रू 70,000/- की मांग की जा रही है, मद संख्या 19-विज्ञापन में वित्तीय वर्ष 2020-21 में कोई बजट प्रावधान स्वीकृत नही है। मद संख्या 04, 05, व 19 में पीठासीन अधिकारियों के लम्बित बजट मांग-पत्रों के निस्तारण किये जाने हेतु आवश्यकता है।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्वनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्ध/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

**संख्या-आर0ई0-619 /यू0ओ0-ई-9-274/दस-2021, दिनॉक 23 मार्च, 2021**

सेवा में,

महालेखाकार,
(लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद।

ह0/-
(सिद्धार्थ श्रीवास्तव)
अपर निदेशक,
वित्त एवं संसाधन,
उ०प्र०शासन।

ह0/-
(रेनू वर्मा)
अनु सचिव,
परिवहन विभाग।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-31/2021/743/तीस-3-2021 दिनॉक 24 मार्च, 2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

3- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस शर्त के साथ प्रेषित कि जिस मानक मद से पुनर्विनियोग का प्रस्ताव किया गया है, उसी मानक मद में चालू वित्तीय वर्ष में धनराशि के पुनर्विनियोग का प्रस्ताव नहीं किया जायेगा तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि जिस मानक मद में धनराशि का पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस धनराशि का चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा।

4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

5- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ ।

6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9

7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (03 प्रतियों में)।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ह0/-

(रेनू वर्मा)

अनु सचिव,

परिवहन विभाग।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।